



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.1548]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2013/आषाढ़ 13, 1935

No.1548]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2013/ASHADHA 13, 1935

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2013

का.आ. 2006(अ).—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में 1 मार्च, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 466(अ.) दिनांक 1 मार्च, 2011 में निम्नांकित संशोधन करती है, यानी:-

उक्त अधिसूचना में -

(1) 'धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य' नामक शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी, नामतः-

"1.	डा. के. एस. डांगी, महानिदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।	सदस्य"
-----	---	--------

(2) 'धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य' शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 6 और उनमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी, नामतः-

